सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

5 श्रावण, 1940 (श०)

संख्या- 729 राँची, शुक्रवार, 27 जुलाई, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

23 जून, 2017

कृपया पढ़े-

1. उपायुकत, कोडरमा का पत्रांक- 943/गो०, दिनांक 21 जून, 2012, पत्रांक-174/स्था०, दिनांक 30 अप्रैल, 2014 एवं पत्रांक-293/स्था०, दिनांक 18 जून, 2015
2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-8787, दिनांक 28 जुलाई, 2012, पत्रांक- 1540, दिनांक 18 दिसम्बर, 2013, पत्रांक-2536, दिनांक 19 मार्च, 2013, पत्रांक- 3451, दिनांक 25 अप्रैल, 2013, पत्रांक-4014, दिनांक 5 मई, 2014, पत्रांक-64, दिनांक 6 जनवरी, 2015 एवं संकल्प सं०-7983, दिनांक 2 सितम्बर, 2015
3. आरोपी पदाधिकारी का स्पष्टीकरण पत्रांक- 01, दिनांक 30 दिसम्बर, 2012 एवं पत्रांक-1203, दिनांक 30 मार्च, 2013
4. राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड का पत्रांक-282, दिनांक 25 जनवरी, 2017

Sr No.	Employee Name (G.P.F No)	Decision of the Competent Authority
1	RAJ KUMAR CHOUDHARY (BHR/BAS/2233)	श्री राज कुमार चौधरी के अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है ।

संख्या-5/आरोप-1-549/2014-50 (HRMS)-- श्री राज कुमार चौधरी, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-425/03, गृह जिला- नवादा), के विरुद्ध इनके उप विकास आयुक्त, कोडरमा के पद पर पदस्थपना अवधि से संबन्धित उपायुक्त, कोडरमा के पत्रांक-943/गो०, दिनांक 21 जून, 2012 के द्वारा प्रपत्र- 'क' में आरोप गठित किये गये, जिसमें श्री चौधरी के विरुद्ध कुल-9 (नौ) आरोप प्रतिदिन हैं ।

उक्त आरोपों पर विभागीय पत्रांक-8787, दिनांक 28 जुलाई, 2012 द्वारा श्री चौधरी से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इसके अनुपालन में इनके पत्रांक-01, दिनांक 30 दिसम्बर, 2012 द्वारा आंशिक स्पष्टीकरण समर्पित किया गया । विभागीय पत्रांक- 1540, दिनांक 18 दिसम्बर, 2013 द्वारा श्री चौधरी से पूर्ण स्पष्टीकरण की माँग की गयी तथा पत्रांक-2536, दिनांक 19 मार्च, 2013 द्वारा इसके लिए स्मारित भी किया गया । श्री चौधरी के पत्रांक-1203, दिनांक 30 मार्च, 2013 द्वारा पूर्ण स्पष्टीकरण समर्पित किया गया । विभागीय पत्रांक-3451, दिनांक 25 अप्रैल, 2013 द्वारा उपायुक्त, कोडरमा को श्री चौधरी से प्राप्त स्पष्टीकरण की प्रति भेजते हुए अनुशंसा सहित मंतव्य प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया । विभागीय पत्रांक- 4014 दिनांक 5 मई, 2014 द्वारा इसके लिए स्मारित भी किया गया ।

उपायुक्त, कोडरमा के पत्रांक-174/स्था॰, दिनांक 30 अप्रैल, 2014 द्वारा श्री चैधरी के स्पष्टीकरण पर मंतव्य प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया ।

श्री चौधरी के विरूद्ध प्रपत्र- 'क' में प्रतिवेदन आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, कोडरमा से प्राप्त मंतव्य प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी । समीक्षोपरान्त प्रमाणित आरोपों हेतु विभागीय संकल्प सं॰- 7983, दिनांक 2 सितम्बर, 2015 द्वारा श्री चौधरी को असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 के नियम-49(1) के तहत 'निन्दन' की सजा संसूचित की गई ।

उक्त दण्ड के विरूद्ध श्री चौधरी द्वारा राज्यपाल झारखण्ड के समक्ष अपील अभ्यावेदन, दिनांक 18 जनवरी, 2017 को समर्पित किया गया, जो राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड के पत्रांक-282, दिनांक 25 जनवरी, 2017 द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया गया है । अभ्यावेदन की समीक्षा में पाया गया कि श्री चौधरी द्वारा दण्ड संसूचन के लगभग 01 वर्ष 04 माह बीत जाने के उपरांत अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया है, जबकि झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-26 के अधीन की जाने वाली कोई

अपील तभी स्वीकार की जायेगी जब अपीलार्थी को आदेश दिए जाने की तिथि से 90 दिनों के भीतर की गयी हो, परन्तु अपीलीय प्राधिकार को समाधान हो जाय कि अपीलार्थी को समय पर अपील नहीं करने का पर्याप्त कारण था, तो वह उक्त अवधि अवसान के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकेगा । श्री चौधरी द्वारा निर्धारित अवधि से काफी विलंब से अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गय है अतः समीक्षोपरान्त विलंब से अपील अभ्यावेदन समर्पित किये जाने के कारण श्री चौधरी के अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सूर्य प्रकाश,
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या:बीएचआर/BHR/BHS/2502

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 729 -- 50